इकाई 5 जनसंचार संबंधी नियम–अधिनियम एवं आचार संहिता

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 अधिनियमों का विकास

5.2.1 स्वतंत्रता पूर्व प्रमुख अधिनियमों का विकास

5.2.2 स्वातंत्र्योत्तर भारत में जनसंचार संबंधी अधिनियमों का विकास

5.3 जनसंचार माध्यमों से संबंधित प्रमुख अधिनियम

5.3.1 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून, 1867

5.3.2 सरकारी गोपनीयता कानून, 1923

5.3.3 प्रेस परिषद कानून, 1978

5.3.4 महिलाओं की अमर्यादित प्रस्तुति (प्रतिबंधात्मक) कानून, 1986

5.3.5 सिनेमैटोग्राफी कानून, 1918 और 1952

5.3.6 भारतीय टेलीग्राफ कानून, 1885

5.3.7 प्रसार भारती कानून, 1990

5.3.8 केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) कानून, 1995

5.4 आचार संहिताएँ

5.4.1 आकाशवाणी

5.4.2 विज्ञापन प्रसारण सेवा

5.4.3 केबल टेलीविजन संबंधी संहिता

5.4.4 फिल्म प्रमाणन संबंधी संहिता

5.4.5 समाचार प्रसारण संबंधी दिशा–निर्देश

5.4.6 समाचारपत्रों की आचार संहिता सारांश

5.5 जनसंचार संबंधी अधिनियम : भविष्य की दिशा

5.6 सारांश

5.7 बोध प्रश्न

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जनसंचार क्षेत्र से संबंधित प्रमुख कानूनों से अवगत हो सकेंगे; जनसंचार क्षेत्र से संबंधित कानूनों की विकास प्रक्रिया को समझ सकेंगे; विशेषकर स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद कानूनों के निर्माण प्रक्रिया एवं आचार संहिता से परिचित हो सकेंगे। जनसंचार क्षेत्र में लागू प्रमुख कानूनों एवं आचार संहिता की बारीकियों से परिचित हो सकेंगे; जनसंचार क्षेत्र में हो रहे बदलावों के संदर्भ में भविष्य में कानूनों में संशोधन और नए कानूनों के निर्माण की

संभावनाओं पर चर्चा कर सकेंगे; जनसंचार क्षेत्र से संबंधित कानूनों के सामने आ रही चुनौतियों जनसंचार माध्यमों के अनुपालन हेतु बनाई गई आचार संहिताओं, नियमों और दिशा निर्देशों और उनके कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन कर सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना

खंड–2 और उसकी पहली इकाई संख्या 5 में जनसंचार यानी मीडिया से संबंधित कानूनों की निर्माण प्रक्रिया से अवगत होने के अलावा यह देखने की कोशिश की जाएगी कि इन कानूनों का विकास कैसे और किन जरूरतों के आधार पर हुआ है? जनसंचार से संबंधित प्रमुख कानूनों का अध्ययन इसलिए जरूरी है कि मीडिया के अलग–अलग क्षेत्रों में काम करने से पहले यह पता होना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता की संभावनाएँ और सीमाएँ क्या हैं? इसके साथ ही यह समझदारी भी जरूरी है कि मीडिया का उपयोग करते हुए हम कैसे संबंधित कानूनों की हदों में रहकर भी उसका अधिकतम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व प्रेस कानूनों का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करना और लोगों को खामोश रखना था तो स्वतंत्रता के उपरांत मीडिया कानूनों का मकसद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी करते हुए भी राष्ट्रहित और सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और सुरुचियों के अनुकूल कुछ सीमाओं और बंधनों के जरिए उसे नियंत्रित करने का था। हालांकि ध्वनि तरंगे सर्वोच्य न्यायालय के एक फैसले के अनुसार ''जनता की संपत्ति'' है लेकिन जनहित में उनका नियमन भी जरूरी है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जनसंचार से संबंधित कानूनों का निर्माण किया जाता है। जैसे–जैसे जनसंचार माध्यमों का विस्तार हो रहा है, लोगों को प्रभावित करने की उनकी शक्ति में वृद्धि हो रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि उनकी इस शक्ति को निहित स्वार्थों के लिए दुरुपयोग करने से रोकने के उपाय किए जाएँ। इस दृष्टिकोण से ही जनसंचार माध्यमों के लिए आचार संहिताओं और दिशा निर्देशों का निर्माण किया गया है ताकि वे उसके दायरे समें रहकर काम करें। सरकार ने समय–समय पर जनसंचार माध्यमों का नियमन करने के लिए कानून, आचार संहिताएँ और दिशा निर्देश बनाएँ हैं। उनका पालन रेडियो, टी.वी. एवं समाचार पत्रों को करना होता है। इस इकाई में यही जानकारी देने का प्रयास है।

5.2 अधिनियमों का विकास

भारत में प्रेस और मीडिया से संबंधित अधिनियमों यानी कानूनों के विकास का इतिहास बहत पुराना है। वस्तुतः जब से देश में पहले अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ तब से ही प्रेस को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन स्वतंत्रता पूर्व प्रेस कानूनों और स्वतंत्रता के उपरांत मीडिया कानूनों के बीच एक बनियादी फर्क यह रहा कि स्वतंत्रता से पहले प्रेस कानूनों का मकसद प्रेस का गला घोटना और ब्रिटिश सरकार की आलोचना को रोकना था, वहीं स्वतंत्रता के बाद प्रेस कानन नागरिकों की अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के अपरिहार्य अंग बन गए। इस कारण भारत में मीडिया को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त है और मीडिया से संबंधित काना का उद्देश्य इस स्वतंत्रता को बाधित किए बगैर राष्ट्रहित और व्यापक जनहित में मीडिया की कार्यप्रणाली का नियमन करना हो गया है।

5.2.1 स्वतंत्रता पूर्व प्रमुख अधिनियमों का विकास

मीडिया से संबंधित पहला कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1799 में बना। गवर्नर जनरल ने एक आदेश पारित कर यह अनिवार्य कर दिया कि किसी भी समाचार पत्र को प्रकाशक, मुद्रक और संपादक का नाम छापना होगा और साथ ही उसमें प्रकाशित होने वाली सामग्री को छपने से पहले सेंसरशिप के लिए भारत सरकार के सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान था। स्पष्ट है कि इस आदेश का मकसद सरकार की आलोचना पर अंकुश लगाना और समाचारपत्रों को सरकार के परोक्ष नियंत्रण में रखना था।

गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में यह आदेश रद्द कर दिया गया लेकिन सरकार के आलोचक समाचार पत्रों और उससे जुड़े प्रकाशकों/संपादकों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। 1823 में तत्कालीन गवर्नर जनरल ने एक अध्यादेश जारी करके प्रेस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। लाइसेंस के लिए मुद्रक, प्रकाशक, संपादक का नाम और प्रकाशन स्थल का पता आदि देना जरूरी था। 1825 में इस अध्यादेश का जगह एक कानून लाया गया जिसे मेटकाफ कानून के नाम से भी जाना जाता है और जो इस्ट इंडिया कंपनी शासित समचे क्षेत्र पर लाग होता था। इसमें भी मुद्रक और प्रकाशक के लिए यह घोषणा करना अनिवार्य था कि उनका प्रकाशन कहा से होता है।

1857 में लार्ड कैनिंग द्वारा पेश कानून में लाइसेंसिंग को फिर से जरूरी बनाते हुए इसे हर तरह के प्रकाशन, चाहे वह पत्र–पत्रिकाएँ हो या पुस्तक या फिर कार 3 के लिए अनिवार्य बना दिया गया। 1860 में भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) पारित हुई। हालांकि यह सीधे प्रेस या मीडिया से संबंधित कानून नहीं था लेकिन इसमें ऐसे कई प्रावधान थे जिनके तहत लेखकों, पत्रकारों, प्रकाशकों और मुद्रकों को अपने लेखन और उसके प्रकाशन में ध्यान रखना होता था कि उनका उल्लंघन न हो। इनमें मानहानि और अश्लीलता से संबंधित प्रावधान महत्वपूर्ण थे। बाद में हुए संशोधनों के जरिए इसमें 1870 में राजद्रोह (धारा 124ए), 1898 में वर्गो के बीच विद्वेष भड़काने (धारा 153 ए), 1927 में राष्ट्रीय एकता को चुनौती देना या तोड़ने की कोशिश (धारा 153 बी) और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने (धारा 295 ए) जैसे प्रावधान जोड़ दिए गए जो कि सामान्य नागरिकों के साथ–साथ प्रेस पर भी लागू होते थे।

स्वतंत्रता पूर्व अधिनियमों में से कई छोटे–मोटे संशोधनों के साथ स्वतंत्रता के बाद भी बने रहे। ऐसे अधिनियमों की अलग से चर्चा की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1931 में पारित भारतीय प्रेस (आपातकालीन) अधिकार कानून की चर्चा जरूरी है। इन कानून के लाए जाने से पहले की पृष्ठभूमि यह है कि 1908 में ब्रिटिश सरकार ने समाचारपत्र (अपराध के लिए उकसावा) कानून बनाया था जिसके बाद 1910 में इसी प्रकृति का लेकिन विस्तृत भारतीय प्रेस कानून लाया गया। इस कानून के दायरे में हिंसा और राजद्रोह के लिए उकसाने वाले लेखन और प्रकाशन को निशाना बनाया गया। इस कानून के तहत छापाखाने (प्रेस) को सरकार के पास सुरक्षा राशि जमा करानी पड़ती थी जो कि प्रेस द्वारा इस कानून के उल्लंघन की स्थिति में सरकार जब्त कर लेती थी।

1922 में उपर्युक्त दोनों कानूनों को एक समिति की सिफारिश पर रद्द कर दिया गया। समिति का कहना था कि इन दोनों कानूनों के प्रमुख प्रावधानों – राजद्रोह भड़काने वाले प्रकाशनों पर छापा और जब्ती – को अन्य कानूनों – जैसे प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून, सामुद्रिक सीमा शुल्क कानून और पोस्ट ऑफिस कानून में शामिल करके काम चल सकता है। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1922 में प्रेस कानून निरसन और संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ने ब्रिटिश सरकार को एक बार फिर प्रेस को काबू में रखने के लिए कठोर कानून बनाने को प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार ने पहले एक अध्यादेश जारी किया जो कि बाद में भारतीय प्रेस (आपातकालीन) अधिकार कानून 1931 बन गया। शुरुआत में इसे एक अस्थायी कानून बनाया गया था लेकिन 1935 में उसे स्थायी बना दिया गया।

इस कानून के तहत प्रेस को सरकार के निर्देश पर सुरक्षा राशि जमा करानी पड़ती थी जो कि इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जल कर ली जाती थी। इस कानून के उल्लंघन के दायरे में वह हर प्रकाशित सामग्री आती थी जिसमें सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने या उसका अपमान करने या उसके प्रति असंतोष भड़काने से लेकर जनता में विभिन्न वर्गों के बीच विद्वेष फैलाने या सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने या ड्यूटी में कोताही बरतने के लिए उकसाने तक के मामले शामिल थे। यह कानून स्पष्ट तौर पर ब्रिटिश सरकार के दोहरे मानदंडों का एक और प्रमाण था। ब्रिटेन में ऐसे ही कानून के खिलाफ संघर्ष चला था और वह बहुत पहले ही रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर एक आम राय बनने लगी थी कि एक लोकतंत्र में प्रेस को नियंत्रित और दंडित करने का कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रेस को काबू में रखने के लिए न सिर्फ एक दमनकारी कानून बनाया बल्कि इसका इस्तेमाल भी किया।

5.2.2 स्वातंत्र्योत्तर भारत में जनसंचार संबंधी अधिनियमों का विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब संविधान सभा संविधान के मसौदे पर विचार कर रही थी, सरकार ने प्रेस कानून जाँच समिति बनाकर उसे यह दायित्व सौंपा कि वह प्रेस कानूनों की इस दृष्टि से समीक्षा कर कि वे 'संविधान सभा द्वारा प्रतिपादत मौलिक अधिकारों के अनुकूल हैं या नहीं। इस समिति ने 1931 के प्रेस (आपातकालीन अधिकार) कानून को रद्द करने का सुझाव देते हुए उसके कुछ प्रावधानों को सामान्य आपराधिक कानूनों में शामिल करने की सिफारिश की। 1931 के प्रेस कानून की कुछ धाराओं को संविधान की धारा 19(2) – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त कर लिया गया लेकिन इसकी जगह केंद्र सरकार ने 1951 में प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) कानन पारित किया जो कि कई मामलों में 1931 के ही कानून का नया संस्करण था। हालांकि यह कानन अस्थायी प्रकृति का था और इसे दो वर्षों के लिए लाया गया था लेकिन इस कानून की काफी आलोचना हुई। इसे रद्द करने की मांग भी उठी।

देखते हुए 1952 में गठित प्रथम प्रेस आयोग को इसकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई। आयोग के अल्पमत सदस्यों ने सिफारिश की कि इस कानन का मोजदा कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए और उसे खत्म हो जाने दिया जाए। जबकि बहमत

सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रेस परिषद जैसी संस्था के तहत प्रेस के लिए आत्म नियंत्रण की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने सिफारिश की कि प्रेस परिषद के गठन के बाद सरकार इस कानून को वापस ले ले। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 1951 का कानून 1956 में समाप्त हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस कानून को रद्द होना भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी सफलता थी।

हालांकि सरकार ने 1956 से 1975 तक 1931 या 1951 की तरह ... लगाने वाला दसरा कोई कानून बनाने की कोशिश नहीं की लेकिन राय और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम जरिए अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ–साथ संगठित होने के अधिकार पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के रास्ते में सबसे बड़ा झटका 1975 में आया जब 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा के कछ महीनों बाद ही सरकार ने 8 दिसंबर, 1975 को आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन निरोधक अध्यादेश पारित कर सेंसरशिप की व्यवस्था के जरिए प्रेस को खामोश और काबू में रखने की कोशिश की। यह एक तरह से 1931 और 1951 के कानून को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। इस अध्यादेश को 1976 में कानून के रूप में पारित करा लिया गया लेकिन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद 9 अप्रैल, 1977 को इस कानून को रद्द कर दिया।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में सरकार की नीतियों और शासकों की आलोचना कर रहे प्रेस का मुँह बंद करने के इरादे से कई छिटपुट कोशिशें और हुई। 1983 में बिहार में प्रेस विधेयक और 1987 में राजीव गांधी सरकार द्वारा मानहानि विधेयक लाने के पीछे मकसद आलोचक प्रेस को चुप कराना था लेकिन व्यापक विरोध के कारण सरकार उन्हें कानून बनाने में विफल रही। आमतौर पर इन कोशिशों को अपवाद माना गया और स्वतंत्र भारत में प्रेस स्वतंत्रता की जड़ें निरंतर मजबूत और गहरी होती गई।

5.3 जनसंचार माध्यमों से संबंधित प्रमुख अधिनियम

वैसे तो जनसंचार माध्यमों से संबंधित कई कानून हैं लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कार के स्वरूप के बारे में यहाँ संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। इनमें से कुछ कानून स्वत के हैं लेकिन समय–समय पर हुए संशोधनों के साथ वे आज भी लागू हो

5.3.1 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून, 1867

भारत में प्रेस से संबंधित यह सबसे पुराना कानन है। इसे ब्रिटिश सरकार ने 180 पारित किया था। इसमें प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर 1955 में व्यापक संशोधन किया गया। इस कानून के तहत 1956 में समाचारपत्र पंजीयक (आर एन आई) कार्यालय की स्थापना की गई। इस कानून के अनुसार आर एन आई समाचारपत्रों का पंजीयन करती है और उनके प्रकाशित अंकों/प्रतियों को सुरक्षित रखती है। आर एन आई देश में छपने वाले सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की संख्या, उनके प्रकाशन स्थल, उनकी प्रसार संख्या और उनके स्वामित्व के बारे में एक सालाना लेखा–जोखा प्रस्तुत करती है।

5.3.2 सरकारी गोपनीयता कानून, 1923

यह कानून भी आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और उसका मुख्य उद्देश्य सरकारी गोपनीय सूचनाओं के बाहर आने और उनके प्रकाशन को रोकना था। इस कानून के दो हिस्से हैं। इसके पहले भाग में धारा 3 और 4 आती है जबकि दूसरे भाग में धारा 5 शामिल है। धारा 3 और 4 सरकारी दस्तावेजों की जासूसी रोकने से संबंधित प्रावधान समेटे हुए हैं लेकिन धारा 5 के तहत किसी भी गोपनीय घोषित दस्तावेज के लेन–देन और उसे प्रकट पर कड़े दंड का प्रावधान है। इस कानून के तहत किसी भी सूचना/विवरण/दस्तावेज को 'गोपनीय' घोषित करने का अधिकार सरकार के पास है। इस कानून के उल्लंघन की सजा तीन साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। इस कानून को लोकतंत्र में पारदर्शिता और सूचना के अधिकार की भावना के विपरीत माना जाता है। लेकिन इसके समर्थकों का मानना है कि यह कानून सरकारी दस्तावेजों के संवेदनशील चरित्र और उसके दुरुपयोग की संभावनाओं को रोकने के लिए जरूरी है। हाल के वर्षों में जब से सूचना के अधिकार के आंदोलन ने जोर पकड़ा है, इस कानून को रद्द करने या इसमें संशोधन करने की माँग तेज हो गई है।

5.3.3 प्रेस परिषद कानून, 1978

प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश और ब्रिटेन के मॉडल पर 1965 में 'प्रेस परिषद कानून' पारित हुआ और 1966 में प्रेस परिषद (प्रेस कांउसिल) का गठन किया गया। इस कानून का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की हिफाजत करना और समाचारपत्रों के व्यावसायिक मानदंड और अंतर्वस्तु की गुणवत्ता में सुधार लाना था। प्रेस परिषद को एक ऐसी आचार संहिता के निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई जिसका उल्लंघन कानूनी तौर पर भले ही दंडनीय न हो लेकिन जो आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगा सके। इस कानून को 1975 में आपातकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। 1976 में प्रेस परिषद (निरसन) कानून के जरिए प्रेस परिषद को भी समाप्त कर दिया गया लेकिन आपातकाल के बाद 1978 में एक बार फिर प्रेस परिषद कानून पारित करके उसे और प्रतिनिधिमूलक बना दिया गया। यह 1965 की तुलना में एक बेहतर कानून था जिसके आधार पर फिर प्रेस परिषद का गठन किया गया।

5.3.4 महिलाओं की अमर्यादित प्रस्तुति (प्रतिबंधात्मक) कानून, 1986

यह कानून मीडिया में महिलाओं की अमर्यादित प्रस्तुति पर रोक लगाने के उद्देश्य से पारित किया गया। इसके मुताबिक विज्ञापनों या समाचारपत्रों, लेखन, पेंटिंग आदि के जरिए महिला की अश्लील या अमर्यादित प्रस्तुति एक दंडनीय अपराध है। यह कानून 1986 में पारित हुआ हालांकि इसकी माँग लंबे समय से की जा रही थी।

5.3.5 सिनेमैटोग्राफी कानून, 1918 और 1952

पहला सिनेमैटोग्राफी कानून 1918 में पारित किया गया था जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निरस्त करके 1952 में नया कानून बनाया गया। इस कानून के मुताबिक फिल्मों के प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। यह प्रमाण पत्र फिल्म को

पूर्व सेंसरशिप की प्रक्रिया से गुजरने के बाद मिलता है। 1981 में इस कानून में संशोधन करके सेंसर बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपीली ट्रिब्यूनल में अपील करने का प्रावधान किया गया। 1984 में एक और संशोधन करके इस कानून का उल्लंघन करने पर लगने वाला जुर्माना बढ़ा दिया गया।

5.3.6 भारतीय टेलीग्राफ कानून, 1885

भारतीय टेलीग्राफ कानून को 1885 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। प्रसारण मीडिया से संबंधित यह सबसे पुराना कानून है। 1885 से अब तक इसमें एक दर्जन से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं। इस कानून के मुताबिक टेलीग्राफ का अर्थ है कोई भी उपकरण, औजार, सामग्री या यंत्र की सहायता से चिह्नों, संकेतों, छवियों, लेखन और ध्वनियों या दृश्य, इलेक्ट्रोमैगनेटिक प्रसारण, तार के जरिए किसी तरह की आसचना रेडियो तरंगों या हर्टज तरंगों आदि के जरिए संप्रेषण या प्राप्त करना। इस तरह से टेलीग्राफ के दायरे में टेलीफोन से लेकर रेडियो तक और फैक्स से लेकर टी.वी. तक सभी कुछ आ जाता है। यह कानून सरकार को प्रसारण सेवाओं की स्थापना, उनके संचालन, संरक्षण और प्रबंधन का एकछत्र अधिकार प्रदान करता है। एक तरह से बिना सरकार की इजाजत या लाइसेंस के कोई भी 'टेलीग्राफ' से संबंधित सेवा नहीं शुरू कर सकता है। इसी कानून के आधार पर सरकार सेवाओं का नियमन और नियंत्रण करती है।

5.3.7 प्रसार भारती कानून, 1990

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कानून पारित किया गया। इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को एक निष्पक्ष, संतुलित, सृजनात्मक और खुले वातावरण में काम करने का मौका मिल सके, इसके लिए उन्हें स्वायत्तता देने और सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की माँग लंबे समय से की जा रही थी। इस कानून के तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रबंधन के लिए प्रसार भारती नाम का स्वायत्त निगम बनाने का प्रावधान है। इस निगम के संचालन के लिए एक बोर्ड के गठन का प्रावधान है जिसमें अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक–एक सदस्य वित्त और कार्मिक, छह अंशकालिक सदस्य, आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक (पदेन सदस्य) और निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि सदस्य होंगे। प्रसार भारती के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति, प्रेस परिषद् के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि की तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करते हैं।

प्रसार भारती कानून में एक 22 सदस्यीय संसदीय समिति के गठन का भी सुझाव था जिसे यह देखना था कि निगम घोषित उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार काम कर रहा है या नहीं? इस कानून के तहत प्रसार भारती के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई के लिए एक प्रसारण परिषद् के गठन का भी सुझाव था। लेकिन 1995 में नीतिश सेनगुप्ता की अध्यक्षता में प्रसार भारती कानून की समीक्षा के लिए गठित समिति ने उपर्युक्त दोनों प्रावधान समाप्त करने की सिफारिश की जिस सरकार ने स्वीकार कर लिया। प्रसार भारती कानून संसद द्वारा 1990 में पारित किए जाने के बावजूद कई वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की

सरकार सत्ता में आई तब एक अधिसूचना जारी करके प्रसार भारती का गठन किया गया। इस कानून में 98–99 में कई और छोटे–मोटे संशोधन किए गए।

5.3.8 केबल टेलीवजन नेटवर्क्स (नियमन) कानून, 1995

देश में केबल उद्योग के संचालन को नियंत्रित करने और उसके उचित नियमन के लिए 1995 में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) कानून बनाया गया। इस कानून के तहत केबल आपरेटर का पंजीकरण, कार्यक्रम और विज्ञापन का पालन, रजिस्टर में इससे संबंधित जरूरी सूचनाएँ और तथ्य रखना, दूरदर्शन के दो चैनलों का अनिवार्य प्रसारण और केबल प्रसारण के लिए मानक उपकरणों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। 2002 में एक संशोधन विधेयक के जरिए इस कानून के तहत कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी ए एस) लागू करने का प्रावधान किया गया है।

5.4 आचार संहिताएँ

5.4.1 आकाशवाणी

आकाशवाणी की स्थापना के करीब तीस साल बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री अशोक मित्रा की पहल पर नौ सूत्री आकाशवाणी आचार संहिता (ए.आई.आर. कोड) लागू की गई। यह आचार संहिता समाचारों और चुनाव प्रसारणों को छोड़कर अन्य सभी प्रसारणों पर लागू होती है। इसके अनुसार कोई भी प्रसारणकर्ता ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे :

- मित्र राष्ट्रों की आलोचना होती हो,
- धर्म और सम्प्रदाय पर प्रहार होता हो,
- जो अश्लील और असम्मानजनक हो,
- हिंसा को बढ़ावा देने या कानून–व्यवस्था के विरुद्ध हो,
- न्यायालय की मानहानि करता हो,
- राष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा न्यायपालिका की निष्ठा पर शक करे,
- किसी राजनीतिक दल पर नाम लेकर प्रहार होता हो,
- किसी राज्य विशेष की कड़ी आलोचना होती हो,
- संविधान के प्रति असम्मान प्रकट होता हो अथवा उसमें हिंसा के द्वारा परिवर्तन की वकालत करता हो किंतु संवैधानिक ढंग से परिवर्तन पर कोई रोक नहीं है।

आकाशवाणी से प्रसारण करते समय यदि कोई इस आचार संहिता का उल्लंघन करता हो तो केंद्र निदेशक उस उद्धरण की ओर प्रसारणकर्ता का ध्यान आकर्षित करता है। यदि प्रसारणकर्ता को परिवर्तन करना स्वीकार्य न हो तो केंद्र निदेशक उपर्युक्त आचार संहिता का हवाला देकर उक्त प्रसारण को रोक सकता है। ऐसे मामलों को अंतिम निर्णय के लिए अब तक सूचना और प्रसारण मंत्री के पास भेजने

का प्रावधान रहा है। लेकिन 1997 के अंत में सरकार ने अधिसूचना जारी कर आकशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान की जिसे प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया) के नाम से जाना जाता है। इस कारण अब इस मसले पर प्रसार भारती बोर्ड अंतिम फैसला कर सकता है।

5.4.2 विज्ञापन प्रसारण सेवा

आकाशवाणी के प्राथमिक चौनलों और विज्ञापन प्रसारण सेवा में विज्ञापनों का प्रसारण होता है। विज्ञापनदाताओं और विभिन्न एजेंसियों को अपने विज्ञापनों में निम्न बातों का ध्यान रखना होता है :

- विज्ञापन देश के निर्धारित कानूनों के अनुरूप हों और नैतिकता, सुरुचि और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला न हो।
- वह किसी नस्ल, जाति, वर्ण और राष्ट्रीयता के आधार पर विभेद न करता हो और न ही इस आधार पर उन पर आक्षेप करता हो।
- वह संविधान के नीति निर्धारक सिद्धांतों और अन्य प्रावधानों के विरुद्ध न हो।
- वह लोगों को अपराध अव्यवस्था अथवा हिंसा के लिए भड़काने वाला न हो या कानून को तोड़ने वाला, हिंसा या अश्लीलता को महिमामंडित न करता हो।
- अपराध को वांछनीय बताते हुए प्रस्तुत न करता हो।
- विदेशी राष्ट्रों से मित्रवत संबंधों को विपरीत ढंग से प्रभावित न करता हो।
- राष्ट्रीय चिह्न या संविधान के अंशों, राष्ट्रीय नेताओं, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों या राजकीय महत्व के लोगों का दुरुपयोग न करता हो।
- वह सिगरेट तम्बाकू उत्पादों, पान मसाले, देशी या विदेशी शराब अथवा नशीले पदार्थों से संबंधित न हो और न ही उन्हें प्रोत्साहन देता हो।
- पूर्णतः या मुख्यतः धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति की वस्तुओं का प्रचार न करता हो। विज्ञापन धार्मिक, राजनीतिक लक्ष्यों को पाने के लिए या औद्योगिक विवादों से संबंधित मसलों पर केंद्रित न हो।
- किसी भी ढंग से निम्न चीजों को प्रोत्साहित न करें :

  कर्ज दाताओं

  चिट फंड

  केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संचालित बचत योजनाओं और लाटरियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्वारा संचालित ऐसी योजनाएँ।

  लायसेंसविहीन रोजगार सेवाओं

सट्टे और जुए हेतु 'टिप्स', घुड़दौड़ की पुस्तकें और अन्य अवसर (चांस) पर आधारित खेल।

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन वर्णित कमियों या खराबी वाली चीजों की बिक्री को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापन।
- विज्ञापन में ऐसा कुछ न हो जिससे लोग यह विश्वास करें कि वस्तु में ऐसा कोई चमत्कारी तत्व अथवा दैविक शक्ति और अलौकिक गुण हैं जिसे सिद्ध करना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ गंजेपन का इलाज या गोरा बनाने वाले तत्व आदि।
- विज्ञापन में 'गारंटी' या 'गारेंटेड' शब्द नहीं हो, जब तक कि गारंटी की पूर्ण शर्ते आकाशवाणी महानिदेशक को निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं हैं और विज्ञापन में सही ढंग से वर्णित नहीं हैं और उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय लिखित रूप में उपलब्ध नहीं हैं। हर मामले में शर्तों में विस्तार से समस्या निवारण का तरीका उपभोक्ता को उपलब्ध होन चाहिए। गारंटी वाला कोई भी विज्ञापन ऐसा नहीं होगा जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के कानूनी अधिकार को सीमित या समाप्त करता हो।
- अन्य उत्पाद या सेवा के प्रति अपमानजनक संदर्भ न रखता हो।
- प्रमाण वास्तविक हों और इस तरह प्रस्तुत किए जाएँ कि उससे श्रोता किसी भी तरह भ्रमित न हों। विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को अपने दावों के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।
- विज्ञापनदाता और उनके एजेंट अपने दावों या उदाहरणों के संबंध में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहेंगे। महानिदेशक, आकाशवाणी को यह अधिकार है कि वह ऐसे सबूत माँग सकें और उनका परीक्षण अपनी संतुष्टि हेतु करा सकें। यदि उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुरूप है तो विज्ञापनदाता को शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थान से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उपभोक्ता को वजन गुणवत्ता या मूल्य से संबंधित दी जा रही जानकारी बिल्कुल सही होगी।
- मूल्यों की तुलना या कमी प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन समुचित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हों।
- आकाशवाणी की प्रसारण आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला विज्ञापन न हो।

5.4.3 केबल टेलीविजन संबंधी संहिता

केबल टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों का नियमन करने के लिए 1995 में केबल टी. वी. नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995

पारित किया गया। इसके नियम 6 और 7 के अधीन सरकार ने निम्न प्रावधान किए हैं :

अ) कार्यक्रम आचार संहिता

1. केबल सेवा में ऐसा कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाएगा जो :

   - सुरुचिपूर्ण और सज्जनोचित भावना के विरुद्ध हो।
   - मित्रराष्ट्रों की आलोचना करता हो।
   - धर्म अथवा सम्प्रदायों पर प्रहार करता हो या धार्मिक समुदायों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृश्य या शब्दों का प्रयोग करता हो अथवा साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करता हो।
   - अश्लील, अपमानजनक, विचारपूर्वक झूठा और वक्रोक्तिपूर्ण तथा अर्द्धसत्ययुक्त कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा सकेगा।
   - जो हिंसा को भड़काने वाला या कानून–व्यवस्था को भंग करने वाला अथवा राष्ट्रविरोधी विचारधारा को प्रोत्साहित करता हो ।
   - जिससे न्यायालय की मानहानि होती हो।
   - जिसमें राष्ट्रपति और न्यायपालिका की निष्ठा पर संदेह व्यक्त करने वाले आरोप हों।
   - राष्ट्रीय एकता को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने वाले कार्यक्रम।
   - किसी व्यक्ति, विशिष्ट समूह, समाज के घटक, जनता और राष्ट्र के नैतिक जीवन की आलोचना, छवि बिगाड़ने या तोड़ने वाले कार्यक्रम।
   - ऐसे कार्यक्रम जो अंधविश्वासों को प्रोत्साहित करें।
   - ऐसे कार्यक्रम जो महिलाओं की छवि को धूमिल करने के लिए उनकी देहयष्टि अथवा कुछ अंगों को अश्लील या अपमानजनक ढंग से जानबूझकर प्रदर्शित करें या लोगों के चरित्र और नैतिक मूल्य को कलुषित, भ्रष्ट या हानि पहुँचाने की संभावना से युक्त हों।
   - ऐसे दृश्य अथवा शब्दों से युक्त कार्यक्रम जो किसी नस्लीय, भाषा अथवा क्षेत्रीय समूह की जीवनशैली या रवैये को व्यंग्य अथवा वक्रोक्ति के जरिए प्रदर्शित करता हो।
   - जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के विपरीत हो ।

2. केबल आपरेटर ऐसे कार्यक्रम प्रदर्शित करेंगे जिसमें महिलाओं को सकारात्मक, नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण को सुदृढ़ करने वाली भूमिकाओं में दिखाया जा रहा हो।

3. वयस्कों के कार्यक्रम रात्रि 11.00 बजे से लेकर प्रातः 6.00 बजे के बीच प्रदर्शित किए जाएँगे ।

4. इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों के लिए दिखाए जा रहे कार्यक्रमों में अभद्र भाषा और हिंसा के दृश्यों की भरमार नहीं होगी ।

5. ऐसे कार्यक्रम जो बच्चों के उपयुक्त नहीं हैं उन्हें ऐसे समय न दिखाया जाए जबकि अधिकांश बच्चे उन्हें देख रहे होंगे।

ब) विज्ञापन आचार संहिता

1. केबल सेवा के विज्ञापन राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप बने होंगे और वे उपभोक्ताओं की नैतिकता, सुरुचि और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले नहीं होंगे।

2. किसी भी ऐसे विज्ञापन को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी जो :

   - किसी नस्ल, जाति, वर्ण, धर्म या राष्ट्रीयता का उपहास करता हो
   - भारतीय संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो ।
   - लोगों को हिंसा के लिए उकसाएँ, हिंसा या अव्यवस्था फैलाएँ, कानून को तोड़ें या हिंसा और नग्नता को महिमा मंडित करें।
   - अपराध को आवश्यक बताएँ।
   - राष्ट्रीय चिह्न, संविधान के किसी अनुच्छेद अथवा राष्ट्रीय महत्व के किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व या राजकीय विशिष्ट व्यक्ति का व्यावसायिक उपयोग हेतु दुरुपयोग करें।
   - ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा जिसमें महिला का अपमान होता हो। महिलाओं को इस प्रकार न दिखाया जाए कि वे अबला लगें और समाज तथा परिवार में अधीनस्थ की भूमिका निभाती दिखाई दें। केबल आपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि महिला पात्रों की छवि सुरुचि और सौंदर्यपूर्ण तथा समाज के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो।
   - ऐसा विज्ञापन जो दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का दोहन करता हो।

3. कोई भी वस्तु जो धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति की हो उसका विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन का उद्देश्य राजनीतिक या धार्मिक प्रचार भी नहीं होना चाहिए।

4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में वर्णित दोषों अथवा कमियों वाली वस्तुओं या सेवाओं का विज्ञापन नहीं किया जा सकता ।

5. कोई भी ऐसी वस्तु जिसके संघटक तत्वों में कुछ विशेष या चमत्कारी अथवा दैविक गुणों या ऐसे गुणों का वर्णन हो जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, को विज्ञापित नहीं किया जा सकता।

6. विज्ञापन के चित्र और आवाजें बहुत अधिक 'तेज' (लाउड) नहीं होंगे।

7. केबल सेवा में कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा जिसमें बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो या वह बच्चों में बुरी आदतें पैदा करता हो या उन्हें भीख माँगते हुए नहीं दिखाया जा सकता और न ही उन्हें असम्मानजनक और असुंदर ढंग से दिखाया जा सकता है।

8. अशिष्ट, असभ्य, उत्तेजक, पराभव या आक्रामक विषयों को विज्ञापनों में सम्मिलित करने से बचना चाहिए।

9. कोई भी ऐसा विज्ञापन जो एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा स्वीकृत मानदंडों का अनुपालन न करता हो, केबल नेटवर्क पर प्रसारित नहीं किया जा सकता।

10. सभी विज्ञापन कार्यक्रम से भिन्न दिखाई देने चाहिएँ और वे किसी भी प्रकार कायर्क्रम में बाधक सिद्ध न हों अर्थात स्क्रीन के निचले हिस्से में कैप्शन, पट्टी या चलायमान संदेश पट्टी नहीं दिखाई जाएगी।

5.4.4 फिल्म प्रमाणन संबंधी संहिता

30 मार्च, 1989 को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों के प्रमाणन हेतु कुछ निर्देश दिए हैं। बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उनका अनुपालन करते हुए ही प्रमाण पत्र जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार फिल्म प्रमाणन के लिए फिल्म प्रमाणन मंडल इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए देखेगा कि :

- फिल्म माध्यम सामाजिक स्तर और मूल्यों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे।
- कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक स्वतंत्रता अनावश्यक रूप से दमित न हो।
- प्रमाणन सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप हो।
- फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन करे।
- यथासंभव फिल्म में सौंदर्यबोध हो और वह सिनेमाई मानदंडों के अनुरूप हो।

फिल्म प्रमाणन मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि :

- समाजविरोधी गतिविधियों, जैसे हिंसा को न्यायोचित न ठहराया जाए और न ही उसे महिमा मंडित किया जाए।
- अपराधियों के तौर–तरीके या ऐसे दृश्य और संवाद जो अपराध को बढ़ावा देते हों, नहीं दिखाए जाएँगे।
- दृश्य :

- हिंसा के शिकार बच्चों या हिंसा को मजबूरन देखते बच्चे या बच्चों के यौनशोषण से संबंधित दृश्य नहीं दिखाए जाएँगे।
- शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को कोसने वाले या गाली देते हुए दृश्य प्रदर्शित नहीं किए जाएँगे।
- अनावश्यक रूप से प्रस्तुत किए जा रहे पशुओं के प्रति क्रूरता या प्रताड़ना के
- दृश्य।

- दिशाहीन हिंसा, क्रूरता, भयावहता के दृश्य मनोरंजन के उद्देश्य से डाले गए हिंसा के दृश्य और ऐसे दृश्य जो लोगों को निर्मम और अमानवीय बनने की प्रेरणा देते हों, नहीं दिखाए जा सकते।
- ऐसे दृश्य जो शराब पीने को न्यायोचित ठहराते हों या उसे प्रतिष्ठा दिलाते हों, नहीं दिखाए जा सकते।
- नशीली दवाओं को न्यायोचित ठहराने वाले प्रोत्साहित करने वाले या प्रतिष्ठा दिलाने वाले दृश्य प्रदर्शित नहीं किए जा सकते।
- मानवीय संवेदनाएँ, असभ्यता, अश्लीलता या दुराचार की भावना से प्रताड़ित न हों।
- ऐसे द्विअर्थी संवादों को जो वासनात्मक नैसर्गिक प्रवृत्तियों को उकसाते हों, फिल्मों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।
- महिलाओं को अपमानित करने वाले या नीचा दिखाने वाले दृश्य किसी भी हालत में नहीं फिल्माए जाएँगे।
- महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा जैसे बलात्कार के प्रयास, बलात्कार या किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के दृश्यों से बचा जाना चाहिए और यदि कहानी की माँग के अनुरूप उन्हें दिखाना आवश्यक ही हो तो बहुत ही संक्षेप में केवल इशारा देने के लिए उन्हें सम्मिलित किया जाए किंतु विस्तृत दृश्य नहीं दिखाए जा सकते।
- यौन विक्षिप्तता के दृश्यों से बचा जाएगा। कहानी की माँग होने पर उन्हें बहुत संक्षेप में दिखाया जाना चाहिए।
- नस्लीय, धार्मिक और ऐसे ही अन्य समूहों को तिरस्कृत करने वाले संवाद और दृश्य नहीं दिखाए जा सकते।
- ऐसे संवाद और दृश्य जो सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, अवैज्ञानिक और राष्ट्रविरोधी हों, प्रदर्शित नहीं किए जा सकते।
- भारत की एकता और सार्वभौमिकता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता।

- राष्ट्र की सुरक्षा को विपत्ति में या खतरे में डालने वाले दृश्य नहीं दिखाए जाएँगे।

- विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रता के संबंधों पर बुरा प्रभाव न पड़ता हो।

- व्यक्ति या संस्था और न्यायालय की मानहानि न होती हो। स्पष्टीकरण दृ ऐसे दृश्य जो न्यायालय का तिरस्कार करते हों, असम्मान दर्शाते हों या उसका निरादर करते हों, उनको न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।

- राष्ट्रीय चिह्न और बिम्बों को तब तक नहीं दिखाया जाएगा जब तक कि राष्ट्रीय चिह्न और नाम (आधुनिक उपयोग संरक्षण) अधिनियम, 1950 (12) के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाए।

- फिल्म प्रमाणन मंडल यह भी सुनिश्चित करेगा कि फिल्म

  - संपूर्ण प्रभाव को आंकने की दृष्टि से जाँची जाएगी।

  - फिल्म को उसमें दिखाए गए काल और परिवेश के अनुसार परीक्षित किया जाएगा, लेकिन वह दर्शकों की नैतिकता को कुलषित न करती हो।

- फिल्में, जो उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करती हैं किंतु बच्चों को नहीं दिखाई जा सकतीं, ऐसी फिल्मों को मंडल वयस्क फिल्मों का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

  - जनसामान्य के लिए प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों को प्रमाण–पत्र जारी करते समय मंडल यह देखेगा कि फिल्म बच्चों सहित पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर देख सकते हैं।

  - मंडल यदि फिल्म की प्रकृति, विषयवस्तु और कहानी के आधार पर यह महसूस करे कि पालकों/माता–पिता को यह चेतावनी देना आवश्यक है कि उसे 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ बैठकर न देखें तो इस आशय का प्रमाणन जरूरी होगा।

  - यदि मंडल यह अनुभव करता है कि फिल्म की प्रकृति, विषयवस्तु और कहनी के कारण वह विशेष व्यवसाय अथवा समाज के वर्ग के लिए उपयुक्त है तो वह ऐसे दर्शक समूह तक उसे सीमित कर सकता है।

- मंडल फिल्मों के टाइटल (नाम) की समीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि वह उत्तेजक, अशिष्ट, आक्रामक और उपर बताए गए दिशा–निर्देशों का उल्लंघन न करते हो।

5.4.5 समाचार प्रसारण संबंधी दिशा–निर्देश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति ने श्री जी. पार्थसारथी की अध्यक्षता में प्रसारण माध्यमों की समाचार नीति निर्धारित करने के लिए कुछ

दिशा–निर्देश जारी किए थे। 1982 में जारी इन दिशा–निर्देशों का पालन करना आज भी जरूरी है।

- समाचारों और विचारों के बीच अंतर की स्पष्ट समझ आवश्यक है। समाचारों की रिपोर्टिंग तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ और सूक्ष्म रूप से सही होना चाहिए और ऐसी खबरें ही प्रसारित की जानी चाहिए। प्रसारित समाचारों में सम्पादकीय विचारों का समावेश नहीं किया जा सकता।

- हर समाचार को समाचार के मानदंडों पर खरा उतरना चाहिए।

- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों के मामले में आकशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों का चुनाव व्यावसायिक दृष्टि से उत्कृष्ट होना चाहिए। उनका प्रस्तुतीकरण लक्षित श्रोताओं और माध्यम की विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए।

- समाचारों के तथ्यपरक और वस्तुनिष्ठ होने के साथ–साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन को उनकी पृष्ठभूमि भी बतानी चाहिए जिससे देश के विभिन्न भागों के श्रोता समाचारों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें।

- प्रसारित समाचार को शुद्धता और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन को कुछ पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली अंदाजिया खबरों के प्रसारण से बचना चाहिए। उन्हें समाचारों की पुष्टि के लिए अपने स्रोत विकसित करने चाहिए।

- हमारे जैसे विकासशील राष्ट्र में प्रसारण का विशेष उद्देश्य विकासात्मक समाचारों, उपलब्धियाँ और समस्याओं का प्रस्तुतीकरण भी होना चाहिए। विकासात्मक समाचारों में आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक समाचार भी सम्मिलित होते हैं। समाचार केवल वक्तव्यों और योजनाओं तक सीमित न रहे बल्कि वे उनके महत्व को भी स्पष्ट करें। दूसरे शब्दों में समाचार संकलन में विकास और राष्ट्र निर्माण की खबरों को संकलित करने के लिए विशेष प्रयास होना चाहिए।

- सीमित समय सीमा और विशाल श्रोता समूह के कारण आकशवाणी और दूरदर्शन समाचारपत्रों की तरह समाचारों का कवरेज नहीं कर सकते। उन्हें माध्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप समाचार संकलन के तरीके विकसित करने चाहिए।

- समाचार रिपोर्टिंग की शैली और पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे संविधान के मौलिक सिद्धांतों, जिन पर कि राष्ट्रीय नीतियाँ निर्भर है, उनका सुदृढ़ीकरण हो। इन सिद्धांतों में सम्मिलित हैं क्षेत्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता, लोक व्यवस्था और संसद, विधानसभाओं तथा न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बनाए रखना।

- नीतिगत मामलों पर मंत्रिमंडल विशेषकर प्रधानमंत्री के वक्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे लोगों को राष्ट्रीय नीतियों को समझाने में सहायक होते

हैं। शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को समाचारों में समुचित स्थान दिया जाना चाहिए।

- राजनीतिक विवादों के प्रस्तुतीकरण में प्रसारण माध्यमों की वस्तुनिष्ठता और संतुलन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। उसमें सभी पक्षों को समुचित स्थान मिलना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में भी लोगों को नई घटनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी मिलती रहनी चाहिए। समुचित पृष्ठभूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
- आकाशवाणी और दूरदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रबुद्ध जनमत पैदा करने के लिए सामयिक समाचार और चर्चा के मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित करें। शांति, सह–अस्तित्व, गुट निरपेक्षता और मैत्री के अतिरिक्त स्वाधीनता, रंगभेद और नस्लवाद के विरुद्ध लगे देशों के समाचार भी दिए जाने चाहिए।

5.4.6 समाचारपत्रों की आचार संहिता

भारतीय प्रेस परिषद ने समाचारपत्रों या पत्रिकाओं में प्रकाशित जिन बातों को आपत्तिजनक माना है, उनमें सम्मिलित हैं :

- अश्लील लेख
- साम्प्रदायिक लेख
- गलत रिपोर्टिंग
- पीत पत्रकारिता
- अपमानजनक समाचार
- लांछन
- चरित्र हनन
- व्यावसायिक कदाचार
- राष्ट्रविरोधी समाचार/लेख
- उत्तर/खंडन प्रकाशित न करना
- भयदोहन

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी भी दी गई। मीडिया की स्वतंत्रता इसी संवैधानिक प्रावधान का परिणाम है। किंतु देश की सम्प्रभुता, सुरक्षा और एकता के हित में उस पर राज्य द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। इसी तरह विदेशों से संबंधों, कानून और व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता

या अदालत की अवमानना, मानहानि अथवा अपराध को प्रोत्साहन देने के मामले में भी रोक लगाई जा सकती है।

संविधान में यह भी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही को सही ढंग से बिना दीवानी या फौजदारी कार्यवाही के डर से प्रकाशित कर सकता है। यह की गोपनीय बैठकों के मामले में नहीं है। दुर्भावना से छापे गए समाचार भी नीयमाने जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएँ निहित हैं। यही प्रेस और अन्य माध्यमों पर भी होता है।

भारतीय शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का उल्लंघन भी दंडनीय माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे उद्देश्य से जो राज्यहित में नहीं है किसी निषिद्ध स्थान में प्रवेश करता है गोपनीय दस्तावेज देखता है या किसी को सूचना देता है अथवा कोई ऐसा चित्र या नक्शा बनाता है या कुछ लिखता है जिसका कि उद्देश्य दुश्मन को लाभ पहुँचाना है तो वह इस अधिनियम के तहत अपराधी माना जाएगा।

5.5 जनसंचार संबंधी अधिनियम : भविष्य की दिशा

जनसंचार के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों ने नीति निर्माताओं और विधिवेत्ताओं के सामने उन परिवर्तनों के नियमन के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन और नए कानून बनाने की चुनौती बरकरार रखी है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ बदली हुई स्थितियों के अनुकूल कानून निर्माण या संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कन्वर्जेस यानी कई सूचना और जनसंचार तकनीकों के मिलन से पैदा हुई स्थिति के नियमन के लिए उपयुक्त कानून बनाने का है। केंद्र सरकार ने 2001 में संचार कन्वर्जेंस विधेयक संसद में पेश किया था लेकिन वह अभी तक लंबित पड़ा है। एक समग्र कानून के अभाव में इस क्षेत्र में एक नियमन प्राधिकरण (रेग्यूलेटरी अथॉरिटी) की कमी महसूस की जा रही है।

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेषकर टी.वी. समाचार चैनलों के विस्तार ने प्रेस परिषद के विस्तार और एक विस्तृत मीडिया परिषद के गठन की जरूरत को सामने ला दिया है। यही नहीं, प्रेस परिषद को और अधिकार सम्पन्न बनाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।

सूचना के अधिकार की मांग भी दिन पर दिन जोर पकड़ रही है। कई राज्य सरकारों ने सूचना का अधिकार देने वाले कानून बनाए हैं। केंद्र सरकार ने भी सूचना के अधिकार का विधेयक संसद के समक्ष पेश किया हुआ है जो काफी समय से लंबित पड़ा हुआ है। इस विधेयक के पारित होने और कानून बनने से प्रेस और मीडिया को काम करने में काफी सहूलियत होगी।

5.6 सारांश

भारत में मीडिया विशेषकर समाचारपत्रों (प्रेस) से संबधित कानूनों का इतिहास बहुत पुराना है और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पहले समाचारपत्र के प्रकाशन के साथ ही प्रेस पर अंकुश लगाने की कानूनी कोशिशें शुरू हो गई थीं। मीडिया से संबंधित कानूनों के विकास की प्रक्रिया में दो रुझान साफ दिखते हैं। पहला,

स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले इन कानूनों का उद्देश्य प्रेस विशेषकर भाषाई प्रेस को काबू में रखना था लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया और प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया गया। दूसरा, आजादी के बाद भी प्रेस को काबू में करने की कई कोशिशें की गईं। आपातकाल में प्रेस सेंसरशिप इसका उल्लेखनीय उदहारण है। मीडिया से संबंधित प्रमुख कानूनों में कई स्वतंत्रता पूर्व के हैं लेकिन उनमें समय–समय पर संशोधन करके उन्हें सामयिक और प्रासंगिक बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित अधिकांश कानून पिछले दशक में बने लेकिन इस क्षेत्र से संबंधित सबसे पुराना कानून एक शताब्दी पुराना है। भाल टेलीग्राफ कानून' 1885 में अब तक एक दर्जन से अधिक बार संशोधन किया जाना है। मीडिया से संबंधित कानूनों के निर्माण की दिशा में भविष्य में कई क्षेत्रों से संग नए कानून बनाने या मौजूदा कानूनों में संशोधन की चुनौती है।

जनसंचार माध्यमों के समुचित उपयोग के लिए हमारे देश में कोई स्पष्ट और परिभाषित संचार नीति नहीं है किंतु सरकार ने उनका नियमन करने के लिए समय–समय पर कानून, आचार संहिताऐं और दिशा–निर्देश बनाए हैं। आकाशवाणी के लिए नौ सूत्री आचार संहिता है। उनका पालन सभी प्रसारण कर्ताओं को करना होता है। विज्ञापनों के लिए अलग आचार संहिता है। यह आचार संहिता आकाशवाणी की आचार संहिता के अनुपालन के साथ–साथ उपभोक्ताओं के अधिकारों का ध्यान भी रखती है। केबल टी.बी. प्रसारकों के लिए एक अलग अधिनियम है। यह केबल टी.वी. नेटवर्क (अधिनियम), 1995 कहलाता है। उसमें केबल टी.वी. पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए नियम बनाए गए हैं। 30 मार्च, 1989 को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों को प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उनका अनुपालन करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति ने श्री जी. पार्थसारथी की अध्यक्षता में प्रसारण माध्यमों को समाचार नीति निर्धारण के लिए कुछ दिशा–निर्देश 1982 में जारी किए। भारतीय प्रेस परिषद ने समाचारपत्रों के लिए आचार संहिता तैयार की है। विभिन्न प्रेस कानून भी उनका नियमन करते हैं।

5.7 बोध प्रश्न

1. 'अभिव्यक्ति की आजादी' जनसंचार माध्यमों के स्वस्थ्य विकास के लिए अपरिहार्य है। क्या जनसंचार संबंधी अधिनियम इस पर प्रतिबंध लगाते हैं या फिर इसे नियंत्रित करते हैं? जनसंचार संबंधी अधिनियमों के आलोक में अपने इस संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. आजादी मिलने से पहले और आजादी मिलने के बाद जनसंचार अधिनियमों के विकास की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3. जनसंचार नीति तैयार करने की दिशा में भविष्य की चुनौतियों का आकलन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. विभिन्न जनसंचार माध्यमों की आचार संहिता के प्रमुख बिंदुओं का विवेच कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5. जनसंचार माध्यमों के लिए बनाई गए आचार संहिता के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

6. फिल्मों, टेलीविजन एवं विज्ञापनों में प्रकाशित/प्रसारित सामग्रियों को बारीकी से परीक्षण कर इन माध्यमों में आचार संहिताओं के पालन के संदर्भ में टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

.....

.....

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY